न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 25/2019

रामसहाय पुत्र रूग्गी माली निवासी खानपुर बडोदा तहसील–गंगापुर सिटी जिला– सवाई माधोपुर राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक जिला–टोंक. ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 25–7–2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 30–5–2019 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी किन्तु सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) टोंक को पत्र कमांक 434–36 दिनांक 10–6–2019, से अन्तरित कर सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलान्ट द्वारा निम्न प्रकार सूचना चाही गई है:–

प्रार्थी ने दिनांक 5–3–2019 को रजि0 डाक से श्रीमान जी को प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जो खानपुर बडोदा तह0 गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में स्थित खसरा नम्बर 871 रकबा 0.43 हैक्टर किस्म बारानी 2 का सीमा ज्ञान सेटलमेंट विभाग टोंक (भू–प्रबन्ध अधिकारी टोंक) के द्वारा पद का दुरूपयोग कर आज तक सीमा ज्ञान नहीं किया बाबत शिकायती पत्र प्रेषित किया था आवेदक को शिकायती पत्र दिनारंक 5–3–2019 जो संलग्न है। उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि एंव उक्त पत्र पर आज तक की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी चाहिये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर टोंक/प्रभारी अधिकारी(भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक से जवाब/रिकार्ड तलब किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि प्रभारी अधिकारी(भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 3733–34 दिनांक 24–6–2019 से आवेदक को सूचित किया है कि आप सूचना प्राप्त करने हेतु 7 पृष्ठ के 14/रूपये का पोस्टल आर्डर व रजि0 डाक का स्वय के पते का लिफाफा प्रस्तुत करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। चूँकि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवा दिया गया है अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी(भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner